

366

महोदय को भेजने के लिए

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी विदिशा

प्र. क्र.

/15-16 अपील

क्र. 2721-I-16

25.07.16

20.07.16

श्रीमान - 414/ल 4
Rajendra Singh
अनुराधा नारायण

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पुत्र भवती प्रसाद

श्रीवास्तव आयु 50 साल पंथा खेती निवासी

भदर गड़ा गांव तहसील व जिला विदिशा - अपी.

बनाम

1- सुमानसिंह पुत्र खेत सिंह दांगी निवासी पिपल्या

पेदे तहसील हजूर जिला भोपाल

2- म.प्र. शासन रिस्था.

श्रीविज्ञान (प्रिन्सिपल) 50% वॉल्यू LCC

अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू. रा. संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक

25.07.16
उपखण्ड अधिकारी
विदिशा (म.प्र.)

2016 व मामले सुमानसिंह बनाम शासन प्र.क्र. 26 अ-12/15-16

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खपरयेड़ा

की भूमि क्र. 50/2/4 मिन रकवा 1.195 हे. प.ह.नं. 72 के संबंध में तहसीलदार

विदिशा द्वारा बिना सूचना पड़ोसी कृष्ण जिसमें अपीलाट मुख्य रूप से शामिल

है दिनांक 23/6/16 को पटवारी द्वारा सीमांकन कर दिया जबकि नियमानुसार

अपीलाट को सीमांकन के पूर्व सूचना देना अनिवार्य था जबकि विवादित भूमि के

संबंध में न्यायालय श्रीमानमें पूर्व से अपील लंबित है और दिनांक 26/2/15 से

स्थगन आदेश है। इसी विवादित भूमि के संबंध में पूर्व भूमिस्वामी के विरुद्ध

एक अपील प्रकरण क्र. 955/11-12 अपील कृष्ण कुमार बनाम शासन आदि न्याया-

लय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल केप विदिशा के न्यायालय में विचारा-

धीन है जिसमें दिनांक 25/4/2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया है फिर

भी अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि का सीमांकन करने का आदेश दे दिया जिससे


दुखी होकर यह अपील अंदर मियाद माननीय न्यायालय में अस्थायी आधारों पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2721-एक/16

जिला - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 05-12-18 | <p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |